

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020, 437 दिनांक 28.04.2020, एवं 1092 दिनांक 05.10.2020, 393 दिनांक 01.03.2021 एवं अन्य विभिन्न आदेशों के द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022, के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बबली	भीलवाडा	07-04-1989	03-03-2021	-	02-03-2023	03-03-2023
2	सरोज	भीलवाडा	25-07-1985	03-03-2021	-	02-03-2021	03-03-2023
3	अन्तिमा कुमारी मीणा	भीलवाडा	20-06-1994	04-03-2021	-	03-03-2023	04-03-2023
4	सरोज कवर गहलोत	भीलवाडा	15-07-1986	07-10-2020	-	06-10-2022	07-10-2022
5	पिंकी खटीक	भीलवाडा	15-07-1993	08-10-2020	-	07-10-2022	08-10-2022
6	ज्योति	भीलवाडा	02-09-1993	03-03-2021	-	02-03-2023	03-03-2023
7	मंजू महला	भीलवाडा	07-07-1991	03-03-2021	-	02-03-2023	03-03-2023
8	शीला	भीलवाडा	05-05-1985	04-03-2021	-	03-03-2023	04-03-2023
9	सुनिता कुमारी	भीलवाडा	15-03-1990	04-03-2021	-	03-03-2023	04-03-2023
10	आशा कुमारी मीणा	भीलवाडा	10-05-1994	03-03-2021	-	02-03-2023	03-03-2023
11	भावना रेगर	भीलवाडा	17-11-1994	03-03-2021	-	02-03-2023	03-03-2023

नोट:- उक्त कार्मिकाओं के द्वारा यदि परिवीक्षाकाल में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(सुरेश नवल)
 निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/x-01-00691/2023/S29

दिनांक:- 01-09-2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी **भीमवाडा**।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
4. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
5. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर